कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज0)

क्रमांक : स्था. / प.48 / 2024 / 62 दिनांकः 24.01.2024

–:: आदेश ::–

करौली न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नांकित आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय, जिनके द्वारा राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापना नियम, 1986 (यथासंशोधित) के तहत गति परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई है तथा जो आशुलिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद के लिए विहित अर्हता रखते हैं, को उक्त नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वरियता सह योग्यता एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर तुरन्त प्रभाव से अस्थाई रूप से आशुलिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे लेवल संख्या–11 (37800–119700) के अन्तर्गत नियमानुसार देय वेतन भत्तों पर पदोन्नत किया जाता है :–

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी	वर्तमान पद	वर्तमान पदस्थापन न्यायालय का नाम
01	श्री संजय शुक्ला	आशुलिपिक ग्रेड–III	न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली

नोट :–

01. यदि उपरोक्त कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उन्हें बिना किसी नोटिस के मूल पद पर प्रत्यावर्तित (revert) कर दिया जावेगा।
02. उपरोक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारी के सेवा अभिलेख में किया जावे।
03. उक्त कर्मचारी के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जा रहे हैं।
04. उक्त कर्मचारी की पदोन्नति; पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी होगी। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार पदोन्नत पद पर उपस्थिति की तिथि से संबंधित कर्मचारी का वेतन नियतन किया जावे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज0)

क्रमांक : स्था. / प.48 / 2024 / 926-28 दिनांकः 24.01.2024

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, करौली
02. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली
03. श्री संजय शुक्ला, आशु.ग्रेड–।।।, न्या. सि.न्या. एवं न्या.मजि. करौली
04. आदेश / निजी / संबंधित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज0)